

## Order Sheet [Contd]

Case No. .... of 20 .....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>दिनांक :- 10.02.2018 खण्डपीठ को 20</p> <p>प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।</p> <p>राज्य द्वारा एडीपीओ उप०।</p> <p>आरोपी मेहताब, इरशाद, इकलाख एवं इमरान सहित अधि० श्री मनोज श्रीवास्तव उप०।</p> <p>फरियादी पप्पन खों उपस्थित। फरियादी की पहचान अधि० श्री ओ.पी. शर्मा द्वारा की गई।</p> <p>आज दिनांक को उभयपक्षों द्वारा लोक अदालत का डॉकेट भर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गई।</p> <p>राजीनामा पर विचार किया गया।</p> <p>प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा०द०सं० की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। आरोपीगण पर आरोपित अपराध शमनीय प्रकृति के हैं। फरियादी ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामा के आधार पर आरोपी मेहताब, इरशाद, इकलाख एवं इमरान को भा०द०सं० की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता</p>	<p>पप्पन</p> <p>गोपाल</p> <p>राम</p> <p>इरशाद</p> <p>इकलाख</p> <p>मनोज श्रीवास्तव</p> <p>ओ.पी. शर्मा</p> <p>मनोज श्रीवास्तव</p> <p>(मानिस)</p>



Date of  
Order or  
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

13/05/2020  
Sd/-  
Part  
Pleadings  
necessary  
लोक अदालत

है।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं अतः उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा डण्डा मूल्यहीन होने से तोड़ तोड़ कर नष्ट किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अमिलेखागार भेजा जावे।

खण्डपीठ सदस्य क.1-

क.2-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
पीठासीन अधिकारी  
खण्डपीठ क020 गोहद  
जिला भिण्ड म0प्र0